


राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक:एफ 13(6)खा.वि./आवंटन/2019

जयपुर, दिनांक : 11.08.2020

:- आदेश :-

प्रदेश में COVID-19 वायरस से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत राज्य के समस्त लाभार्थी परिवारों को दिनांक 11 अगस्त, 2020 से 30 नवम्बर, 2020 तक निःशुल्क गेहूँ वितरित करवाया जावेगा। इस पर होने वाला व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जावेगा। शेष अन्य सभी नियम एवं शर्तें पूर्वानुसार यथावत लागू रहेगी।



(हेमन्त कुमार गेरा)
शासन सचिव

क्रमांक:एफ 13(6)खा.वि./आवंटन/2019

जयपुर, दिनांक : 11.08.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य खाद्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. प्रमुख शासन सचिव, सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राज.जयपुर को भेजकर अनुरोध है कि सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन करने हेतु संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को निर्देशित करने का श्रम करें।।
7. निजी सचिव, शासन सचिव (खाद्य), राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त संभागीय आयुक्त / जिला कलक्टर, राजस्थान।
9. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
10. निजी सचिव, प्रबंध निदेशक, राज.राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि., जयपुर।
11. समस्त अधिकारीगण, खाद्य विभाग/उपभोक्ता मामले विभाग/ विधिक माप विज्ञान विभाग।
12. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत उचित मूल्य दुकानवार दिनांक 11.08.2020 को अवितरित स्टॉक की सूचना प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।
13. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
15. प्रोग्रामर, खाद्य विभाग को सभी संबंधित को ईमेल एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
16. रक्षा पत्रिका।


उपायुक्त एवं उपशासन सचिव